

प्ररूप सं. 10चख

[नियम 21कख(4) देखिए]

धारा 90 और 90क के प्रयोजन के लिए निवास प्रमाणपत्र

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. व्यक्ति का नाम | |
| 2. प्रास्थिति | |
| 3. ¹ [स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] | |
| 4. कर निवास प्रमाणपत्र की अवधि के दौरान
व्यक्ति का पता |
.....
..... |

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित व्यक्ति आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के लिए भारत का निवासी है।

यह प्रमाणपत्र की अवधि के लिए विधिमाम्य है।

तारीख को जारी किया गया।

निर्धारण अधिकारी का नाम
पदनाम
मुद्रा ।

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।